प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ।

सेवा में.

सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।

क्रमांकः स्था०/०१/२०१८ 38559-91

दिनांकः 28/11/2018

Subject:-

Regarding request for sending panel of officer for selection to the post of Assistant Labour Commissioner in the Labour, Union Territory, Chandigarh, On deputation basis.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया जाता है कि Chandigarh administration, Labour Department द्वारा सहायक श्रम आयुक्त का पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है।

अतः आपको Chandigarh administration, Labour Department से प्राप्त पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि आप प्रतिनियुक्ति आधार पर श्रम अधिकारी के पद पर Chandigarh administration, Labour Department में जाने के इच्छुक है तो अपनी सहमति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—2 भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि मामलें में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।

संलग्नः उक्त

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०), कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा। दिनांकः

पृष्ठाकांन क्रमांकः स्था०/०1/२०१८/38' ऽ^९२

पत्र की प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

> अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०), कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।



NDIGARH ADMINISTRATION HOME DEPARTMENT LABOUR & EMPLOYMENT BRANCH

Reminder

No. 12/1/5-HII(2)-2018/2/2/2

Dated 16-11-2018

D. H.

To

(2)

The Principal Secretary, to the Government of Haryana,

Department of Labour, New Haryana Secretariat, Sector 17, Chandigarh.

Subject: Regarding request for sending panel of officers for

selection to the post of Assistant Labour Commissioner in the Labour, Union Territory, Chandigarh, on deputation

basis.

Sir,

Reference this Administration's Memo No. 12/1/5-HII(2)-

2018/20539, dated 02.11.2018, on the subject noted above.

You are again requested to send a panel of suitable at

least three officers along-with their complete ACR/dossiers.

Superintendent Labour, for Secretary Labour, Chandigarh Administration.